

7

# न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R-3511-III/2012

दिवानर दीक्षर

श्री. दिवाकर सिंह, म.प्र.  
हारा आज दि. 11-10-12 को  
प्रस्तुत

चलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राकेश चौकसे पुत्र श्री श्यामलाल चौकसे, आयु- 30 वर्ष, व्यवसाय- काशतकारी, निवासी- ग्राम नरवर तेहसील रायसेन जिला रायसेन (म0प्र0)
2. रितेश मालवीय पुत्र श्री संतोष मालवीय, आयु- 38 वर्ष, व्यवसाय- दूकानदारी, निवासी- विकास नगर तेहसील चिचौली थाना चिचौली जिला वैतूल (म0प्र0)

..... पुनरीक्षणकर्तागण  
बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन जिला रायसेन मध्यप्रदेश
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर रायसेन जिला रायसेन मध्यप्रदेश
3. श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री प्रभूदयाल कुशवाह निवासी पाटनदेव, रायसेन जिला रायसेन मध्यप्रदेश

..... रिस्पोंडेन्ट्स


Received  
R.V. Sharma  
11/10/12

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959  
विरुद्ध आदेश दिनांक 17.05.2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रायसेन  
जिसके द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया ।

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3511/दो/2012 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

  
अध्यक्ष